झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक अपील (खंडपीठ) संख्या 479/2015

(सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा 2012 के सत्र विचारण संख्या 290 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय दिनांक 1 जून, 2015 और सजा के आदेश दिनांक 10 जून, 2015 के विरुद्ध)

1. रामजी हेम्ब्रोम
2. बिहारी हेम्ब्रोम ..... अपीलकर्तागण

बनाम

झारखंड राज्य ..... प्रतिवादी

कोरम: श्री आनंद सेन, जे.
श्री सुभाष चंद, जे.

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता : श्री रंजीत कुमार तिवारी,अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्री पंकज कुमार मिश्रा, ए.पी.पी.

सी.ए.वी. 04.03.2024 को उद्घोषित 18.03.2024 को प्रति सुभाष चंद जे द्वारा अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. 2012 के सत्र विचारण संख्या 290 में सत्र न्यायाधीश, गोड्डा द्वारा पारित दोष सिद्धि के आदेश दिनांक 1 जून, 2015 और दंडादेश दिनांक 10 जून, 2015 के विरुद्ध अपीलकर्ताओं की ओर से विद्दमान आपराधिक अपील प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत, अपीलकर्ताओं को भा.द.वि. की धारा 302/34 और 201/34 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और भा.द.वि. की धारा 302/34 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और भा.द.वि. की धारा 201/34 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास। प्रत्येक को 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ और जुर्माने का भुगतान न करने पर अपीलकर्ताओं को तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया। दोनों सजाएं एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया.

3. इस आपराधिक अपील को उद्द्भुत करने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सूचक - प्रिया टुडू ने लिखित सूचना संबंधित थाना को इन आरोप के साथ दिया था कि सूचक बिनोद हेम्ब्रम की पत्नी अपनी सास मरांगमय सोरेन, भैसुर-राज कुमार हेम्ब्रम और भाभी भीरू टुडू के साथ रहती थी। आगे कहा गया है कि उसकी भाभी और भैसुर दोनों घर पर नहीं थे और उसकी सास मरांगमय सोरेन घर पर थी। बिहारी हेम्ब्रम के साथ उनके ससुर रामजी हेम्ब्रम का परिवार भी वहीं रहता है और दोनों के घर का आंगन एक ही है और मुख्य दरवाजा वहीं खुलता है। आगे आरोप है कि 31 जुलाई 2012 को दिन के 1.30 बजे वह धान रोपने गयी थी और उसका पति घर पर अकेला था। शाम 5 बजे जब सूचक घर वापस आया तो देखा कि उसके ससुर रामजी हेम्ब्रम और बिहारी हेम्ब्रम दोनों उसके पति बिनोद हेम्ब्रम को घर में खींच रहे थे। वह आंगन में पहुंची और अपने पति को खून से

लथपथ पाया, जिसकी अंततः मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके ससुर रामजी हेम्ब्रम और बिहारी हेम्ब्रम भाग गए। गांव के एक ताला मुर्मू ने उसे बताया कि घटना के समय वह गणेश मरांडी के दरवाजे के सामने खाट पर सो रहा था और उसने रामजी हेम्ब्रम और बिहारी हेम्ब्रम को लाठी, कुदाल और टांगी से लैस देखा था और उन्होंने बिनोद हेम्ब्रम पर सिर के ऊपर हमला किया था। वह भी बचाने आया, लेकिन बिनोद हेम्ब्रम की हत्या कर दोनों भाग गये। उन्होंने रामजी हेम्ब्रम से एक टांगी भी छीन ली थी, इसके बाद दोनों बिनोद हेम्ब्रम को खींचकर घर के अंदर ले गये थे.

4. इस लिखित सूचना पर रामजी हेम्ब्रम एवं बिहारी हेम्ब्रम के विरुद्ध भा.द.वि.की धारा 302/201/34 के तहत थाना पथरगामा जिला गोड्डा में कांड संख्या 112/2012 दर्ज किया गया। अन्वेषण अधिकारी ने अन्वेषण पूरी की और उक्त दोनों अभियुक्तों के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 302/201/34 के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया।

5. विद्वान मजिस्ट्रेट की न्यायालय ने आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और कथित अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश, गोड्डा की न्यायालय में विचारण के लिए समर्पित कर दिया गया।

6. सत्र न्यायाधीश, गोड्डा की न्यायालय ने अभियुक्त रामजी हेम्ब्रम और बिहारी हेम्ब्रम के खिलाफ भा.द.वि.की धारा 302/201/34 के तहत आरोप का विरचन किया. आरोप को पढ़ा गया और दोनों अभियुक्तों को समझाया गया, जिन्होंने आरोप से इनकार किया और विचारण का दावा किया।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु अ.सा. 1- नरेश हेंब्रम, अ.सा.2- प्रकाश किस्कू, अ.सा.3 - शिव चरण बास्की, अ.सा.4- ताला मुर्मू, अ.सा.5- डॉ. कुलानंद चौधरी, अ.सा.6- सुशील हांसदा, अ.सा. 7- राज कुमार हेम्ब्रम, अ.सा.8- नवल किशोर सोरेन, अ.सा.9- मीतू सोरेन, अ.सा.-10 मरांगमय सोरेन, अ.सा.-11 अरुण कुमार पांडे (केस केअन्वेषक), अ. सा.-12 प्रिया टुडू (सूचक) और अ. सा.-13 भोला नाथ भगत।

8. अभिलेख साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से जब्ती सूची पर नरेश हेम्ब्रम का हस्ताक्षर प्रदर्श. 1, प्रदर्श. 2 अन्त्यपरीक्षण, रिपोर्ट, प्रदर्श 3 मरनान्वेषण रिपोर्ट, प्रदर्श 1/1 अभिग्रहण सूची, प्रदर्श 3/1 मरनान्वेषण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर, प्रदर्श 4 अन्त्यपरीक्षण के लिए आदेश, प्रदर्श 5 फर्द बयान, प्रदर्श - 6 प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्द ब्यान पर पृष्ठांकन 5/1, भारसाधक अधिकारी के आवेदन दिनांक 9 फरवरी 2015 प्रदर्श-7 ।

9. सामग्री प्रदर्श. I - अपने हैंडल के साथ एक कुल्हाड़ी है, और प्रदर्श.II हैंडल के साथ साथ कुदाल है।

10. द.प्र.स. की धारा 313 के तहत अभियुक्तों का बयान भी अभिलिखित किए गए थे, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आपत्तिजनक परिस्थितियों से इनकार किया था और कहा था कि पारिवारिक विवाद के कारण उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तों की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

11. विचारण न्यायालय ने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद 1 जून, 2015 को दोषसिद्धि का फैसला सुनाया, जिसमें अपीलकर्ताओं को भा.द.वि. की धारा 302/201/34 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहराया गया और तदनुसार सजा सुनाई गई।

12. उपरोक्त दोषियों/अपीलकर्ताओं ने दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय दिनांक 1 जून, 2015 और दंडादेश आदेश दिनांक 10 जून, 2015 से व्यथित होकर वर्तमान आपराधिक अपील को प्रस्तुत किया।

13. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना और झारखंड राज्य के लिए विद्वान अपर लोक अभियोजक और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।

14. दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश की वैधता और औचित्य विनिश्चय करने के लिए, हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की फिर से अधिमूल्यन करना चाहेंगे, जिन्हें नीचे पुन: प्रत्युत्पादित किया गया है:

15. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार घटना के मुख्य साक्षी प्रिया टुडू (अ. सा.-12) और ताला मुर्मू (अ. सा.-4) हैं, जिन पर घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का आरोप है।

15.1. अ. सा.- 4 ताला मुर्मू ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दो वर्ष पूर्व की है और शाम के 5.30 बजे थे, वह गणेश के आंगन में खटिया पर सो रहा था। उसने बिनोद की चीख सुनी और उसे सुनकर वह बिनोद के घर पहुंचा और देखा कि रामजी और बिहारी उस पर कुदाल, टांगी और एक छोटी छड़ी (डंडा) से हमला कर रहे थे। तांगी बिनोद हेम्ब्रम के माथे पर लगी, जिस पर रामजी ने हमला किया। उसने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन दोनों अभियुक्तों ने बिनोद हेम्ब्रम को घर के अंदर खींच लिया, इसके बाद बिनोद की पत्नी भी वहां आ गयी. जब उसकी पत्नी वहां पहुंची तो बिनोद हेम्ब्रम की मौत हो चुकी थी. वहीं सभी अभियुक्तगण भी फरार हो गये हैं. साक्षी ने फिर कहा कि जब बिनोद की पत्नी वहां थी, तो अभियुक्त घटनास्थल पर कुदाल और डंडा छोड़कर भाग गये थे. उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि यह घटना क्यों उत्पन्न हुई। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि बिनोद हेम्ब्रम उसका चाचा था. वह गणेश के घर के आंगन में सो रहा था। गणेश थे भी या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. गणेश और बिनोद के घर के बीच में लगभग 6 से 7 घर हैं। घटना के पांच मिनट बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे और उस समय गांव का कोई व्यक्ति वहां नहीं था. सबसे पहले वह वहां पहुंचा और उसके बाद कौन पहुंचा, उसे इसकी जानकारी नहीं है. इस साक्षी को यह सुझाव भी दिया गया कि उसने और बिनोद दोनों ने शराब पी थी तथा एक-दूसरे पर हमला किया गया, जिससे बिनोद को चोट लगी। इस साक्षी द्वारा इस सुझाव का प्रत्याख्यान किया गया।

15.2 अ.सा.-12 प्रिया टुडू ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि घटना दो वर्ष से अधिक समय पहले की है और शाम के 5 बजे थे। जब वह खेत से अपने घर आ रही थी तो देखा कि उसके पति को बिहारी और रामजी घर के अंदर खींच कर ले जा रहे थे. उसका पति खून से लथपथ पड़ा था। माथे पर चोट लगने से उसका पति अधमरा हो गया। वह रोने लगी, इसके बाद मुंशी सोरेन, ताला मुर्मू और अन्य लोग वहां आ गये. उसके आने के दो मिनट बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गयी। उन्होंने ताला मुर्मू से बात नहीं की थी। उसने कटघरे में खड़े दोनों अभियुक्तगण रामजी हेम्ब्रम और बिहारी हेम्ब्रम की पहचान की।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि बिहारी हेम्ब्रम और रामजी हेमराम दोनों उसके ससुर हैं। वह अपने घर के पास ही स्थित खेत में धान की फसल बोने गई थी।वह अकेले ही धान की बुआई कर रही थी। उनके पति बिहारी हेम्ब्रम दिन के 1.30 बजे खेत से चले गये हैं। उसका पति शराब

नहीं पीता था। यह कहना गलत है कि बिहारी हेम्ब्रम और ताला मुर्मू दोनों ने शराब पी थी और एक-दूसरे से लड़ाई भी की थी और उनके पति को जमीन पर गिरने के कारण चोट लगी और बाद में उनकी मौत हो गई। रामजी हेम्ब्रम और बिहारी हेम्ब्रम दोनों ने उसे आपराधिक तौर पर डराया-धमकाया भी है. उसका और बिहारी व रामजी हेम्ब्रम का घर का आंगन एक ही है. खुलने वाला दरवाज़ा भी एक ही है।

15.3 अ.सा.-10 मरांगमय सोरेन स्वर्गीय तलवा हेम्ब्रम की पत्नी और सूचक की सास और मृतक बिनोद हेम्ब्रम की मां हैं। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि बिनोद हेम्ब्रनम उसका बेटा था। घटना दो साल पहले की है और शाम के पांच बजे थे, प्रिया टुडू और ताला मुर्नमु दोनों ने फोन पर सूचना दी थी कि बिहारी हेम्ब्रम और रामजी हेम्ब्रम दोनों ने कुल्हाड़ी और कुदाल से बिनोद हेम्ब्रम की हत्या कर दी है, बिनोद हेम्ब्रम को रामजी हेम्ब्रम ने गोद लिया था और एक साल भी नहीं बीता था कि रामजी ने बिनोद को गोद लेने से इनकार कर दिया था। जब वह वहां पहुंची तो बिनोद की मौत हो चुकी थी।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि 6 बजे सूचना मिलने पर वह घर पहुंची. उनका, रामजी हेम्ब्रम और बिहारी हेम्ब्रम का साझा आंगन है। रामजी और बिहारी दोनों घर से बाहर आ रहे थे, उस समय आँगन में बहुत सारे लोग थे। उसका बेटा खून से लथपथ पड़ा था। उसने सिर्फ प्रिया और ताला से बात की, उसके बाद वहां पुलिस आ गई. यह कहना गलत है कि उनके बेटे और ताला मुर्मू ने शराब पी थी और चोट लगने के कारण उनके बेटे बिनोद हेम्ब्रम की मौत हो गई। उन्होंने इस सुझाव से भी प्रत्याख्यान किया कि अभियुक्तगण को इस मामले में फंसाया गया था, क्योंकि अभियुक्त रामजी हेम्ब्रम ने उनके बेटे बिनोद हेम्ब्रम को गोद लेने से प्रत्याख्यान कर दिया था।

15.4 अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक की जांच रिपोर्ट को साबित करने के लिए नवल किशोर सोरेन (अ.सा.-8) और सुशील हांसदा (अ. सा.-6) से पूछताछ की गयी।

15.5 अ.सा.-6 सुशील हांसदा ने मरनान्वेषण रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श 3 अंकित था। उन्होंने आगे बताया कि यह घटना 31 जुलाई 2012 की है और समय संध्या के 4 बजे थे. बिनोद हेम्ब्रम की हत्या बिहारी हेम्ब्रम और रामजी हेम्ब्रम ने की थी. फोन पर सूचना मिलने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे थे और घटनास्थल पर उपस्थित लोगों से बिनोद हेम्ब्रम की हत्या के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मरनान्वेषण रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उस पर अपने हस्ताक्षर किए और उसमें क्या लिखा था, उन्हें याद नहीं है। पुलिस के कहने पर उसने मरनान्वेषण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिये।

15.6. अ.सा.- 8 नवल किशोर सोरेन मृतक बिनोद हेम्ब्रम के मरनान्वेषण रिपोर्ट के साक्षी भी हैं. उनका यह भी कहना है कि उन्हें घटना के संबंध में जानकारी मिली थी. पूछने पर प्रिया टुडू और ताला मुर्मू ने बताया था कि रामजी हेम्ब्रम और बिहारी हेम्ब्रम ने बिनोद पर कुल्हाड़ी और कुदाल से हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गयी।

15.7 अभियोजन की ओर से मृतक बिनोद हेम्ब्रम के अंत्यपरीक्षण को प्रमाणित करने के लिए अ. सा.-5 डॉ0 कुलानंद चौधरी से जांच करायी गयी. इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 1 अगस्त, 2012 को वह चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोड्डा के पद पर पदस्थापित थे

और उसी दिन उन्होंने सुबह 9.45 बजे मृतक बिनोद हेम्ब्रम का अन्त्यपरीक्षण किया था और निम्नलिखित चोटें पाई थीं: -

I. बायें माथे पर 4 x 2 x2 सें.मी. पर फटा हुआ घाव।

II. बाईं आंख के बाहरी कैन्थस पर फटा हुआ घाव 2 x 2 x2 सेमी।

III. बाएं कान पर फटा हुआ घाव जिसमें पिन्ना 4x 1.5 x 1 सेमी शामिल है।

IV. खोपड़ी पर पीछे की ओर दाहिनी ओर 4 x 2 x2.5 सेमी पर एक कटा हुआ घाव।

V. बायीं कनपटी पर कटा हुआ घाव 3x3x 1.5 सेमी. ।

VI. बायीं ठुड्डी पर एक खरोंच 1x1 सेमी. मृत्यु के बाद का समय- लगभग 18 घंटे। मृत्यु का कारण- मेरी राय में उपरोक्त चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव के कारण सी.आर विफल हुआ, और अंततः मृत्यु।

अ.सा.-5 ने यह भी कहा है कि यह अन्त्यपरीक्षण रिपोर्ट उसकी लिखावट और हस्ताक्षर में है जिस पर प्रदर्श 2 अंकित है। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि उसे मृतक के शरीर में कोई संकेत नहीं मिला कि उसने अपनी मृत्यु से पहले शराब पी थी। शराब पीने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

15.8 अभियोजन पक्ष की ओर से खून से सने कुदाल, बांस की छड़ी एवं टांगी के जब्ती ज्ञापन को साबित करने के लिए नरेश हेम्ब्रम अ.सा.-1 एवं अरुण कुमार पांडे (अनुसंधानक), अ.सा.-11।

15.9 अ.सा.-1 नरेश हेम्ब्रम पक्षद्रोही और उसने जब्ती ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श 1 अंकित था, लेकिन उसने कहा कि ये वस्तुएं कहां से बरामद की गईं, उसे इसकी जानकारी नहीं है। बिनोद हेम्ब्रम की हत्या किसने की, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है । प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि उसने पुलिस के डर से जब्ती ज्ञापन पर अपना हस्ताक्षर कर दिया था ।

15.10 अ.सा. 11 अन्वेषण अधिकारी अरुण कुमार पांडे ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 31 जुलाई 2012 को वह पथरगामा के थानेदार थे और उन्होंने प्रिया टुडू का फर्द बयान अभिलिखित किया था और इस मामले की अन्वेषण अपने हाथ में ली थी। उन्होंने सूचक का बयान, मरांगमय सोरेन, ताला मुर्मू, नवल किशोर सोरेन, प्रकाश किस्कू का बयान अभिलिखित किया और घटनास्थल का भी निरीक्षण किया. घटनास्थल पर उन्होंने मृत अवस्था में बिनोद हेम्ब्रम का शव पाया। जो घर के आंगन में पड़ा हुआ था और मृतक को घायल अवस्था में घसीटने का खून का दाग भी था। उन्होंने घटना स्थल की जगह पर स्थल का नक्सा भी तैयार किया । उसने कुदाल वाला लकड़ी का हैंडल और बांस की छोटी छड़ी भी बरामद की, जो खून से सनी हुई थी। उन्होंने ढाई फीट लकड़ी के हैंडल वाली तांगी भी बरामद की और उसका जब्ती मेमो भी तैयार किया गया। जब्ती ज्ञापन उनकी लिखावट और हस्ताक्षर में है। जब्ती ज्ञापन पर नरेश हेम्ब्रम व बालेश्वर मांझी का हस्ताक्षर भी लिया गया. जब्ती ज्ञापन पर दोनों अभियुक्तों के हस्ताक्षर लिए गए और उसकी प्रति उन्हें दी गई जिस पर प्रदर्श 1/1 अंकित था। उन्होंने मृतक की मरनान्वेषण रिपोर्ट भी तैयार की और उसकी अन्त्यपरीक्षण रिपोर्ट भी प्राप्त की ।

उन्होंने साक्षी राज कुमार हेम्ब्रम, नरेश हेम्ब्रम, सुशील हांसदा, शिव चरण बास्की का बयान अभिलिखित किया और दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया। गांव के

बिनोद हेम्ब्रम और ताला मुर्मू की पत्नी ने उन्हें बताया था कि रामजी हेम्ब्रम और बिहारी हेम्ब्रम ने बिनोद हेम्ब्रम के साथ मारपीट की थी और उसे आंगन में खींच लिया था और यह उन लोगों ने देखा था। साक्षी नरेश हेम्ब्रम ने स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर किया था और उनके द्वारा कोई भय उत्पन्न नहीं किया गया। मृतक की मां व पत्नी ताला मुर्मू ने बताया कि घरेलू विवाद को लेकर रामजी हेम्ब्रम व बिहारी हेम्ब्रम दोनों ने कुदाल, फरसा व डंडा से भी हमला कर बिनोद की हत्या कर दी है. साक्षी मिटू सोरेन ने उन्हें बताया था कि शोर-शराबा सुनकर अपने दरवाजे पर सो रहे ताला मुर्मू जाग गये और ताला मुर्मू ने रामजी हेम्ब्रम और बिहारी हेम्ब्रम। बिनोद हेम्ब्रम पर कुल्हाड़ी और कुदाल से हमला करते हुए देखा था और दोनों उसे खींचकर कमरे के अंदर ले गए। मरनान्वेषण रिपोर्ट उनकी लिखावट और हस्ताक्षर में है जिसे प्रदर्श 3/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। सूचक प्रिया टुडू का फर्द बयान उसकी लिखावट में है और प्रिया टुडू ने उस पर अपना अंगूठा लगाया है तथा साक्षी नवल किशोर ने उस पर अपना हस्ताक्षर भी किया है, जिस पर प्रदर्श 5 अंकित है। औपचारिक प्र.सू.रि. भी अभिलिखित किया गया था जो पंकज कुमार रंजन की लिखावट में है। उक्त प्र.सू.रि. उस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं जो कि प्रदर्श- 6 के रूप में अंकित थे। फर्दबयान पर उनके हस्ताक्षर भी हैं जो प्रदर्श 5/1 अंकित है।

प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि घटना स्थल से उसने खून से सनी मिट्टी अपने कब्जे में नहीं ली थी। खून से सनी लाठी और कुदाल को जब्त कर लिया गया और उसे जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। जब्ती ज्ञापन पर अभियुक्त रामजी हेंब्रम के अंगूठे का निशान लिया गया। साक्षी ताला मुर्मू ने उसे यह नहीं बताया था कि घटना के दिन उसने और बिनोद दोनों ने शराब पी थी।

15.11 अ.सा.-13 भोला नाथ भगत ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि अपराध कांड संख्या 112/ 2012 से संबंधित सामग्री जो उनके द्वारा लायी गयी थी, उस पर प्रदर्श I, अंकित था, उन्होंने आगे बताया कि यह कुदाल है जिस पर एम.आर. नं.12/12 अभिलिखित है जिस पर प्रदर्श -II अंकित है। उन्होंने यह भी कहा कि मालखाना के रख-रखाव के दौरान दो बांस बल्लियां नष्ट हो गयीं. इसकी जी.डी. प्रविष्टि दिनांक 20 जनवरी 2015 क्रमांक 11 पर है। यह पत्र थाना प्रभारी सतेंद्र प्रसाद की लिखित एवं हस्ताक्षरित है जिसे उन्होंने पहचान किया और प्रदर्श 7 को चिह्नित किया गया। उन्हें इस मामले की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है ।

प्रतिपरीक्षण में, इस साक्षी का कहना है कि सामग्री प्रदर्शन जो कागज में लपेटा गया है, उसकी उपस्थिति में लपेटा नहीं गया था। थाना प्रभारी ने उसे यह सामग्री सौंपी थी, जो वह अदालत में लाया था। वह मालखाना का प्रभारी नहीं है। उनकी उपस्थिति में वस्तु प्रदर्श की बरामद नहीं की गई थी।

16. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस मामले में यह मामला देर से दर्ज किया गया था जो अभियोजन कथा पर संदेह पैदा करता है।

16.1 अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई यह दलील समर्थनीय नहीं पाई गई, क्योंकि घटना 31 जुलाई 2012 की है और प्र.सू.रि. 1 अगस्त, 2012 को 2:00 बजे अभिलिखित किया गया था। घटनास्थल और थाने की दूरी पांच किलोमीटर है, फिर भी प्र.सू.रि. अभिलिखित करने में देरी हुई। है, मुखबिर द्वारा भी यही बताया जा रहा है। सूचक ने कहा था कि दोनों अभियुक्तों ने

उसे आपराधिक रूप से डराया - धमकाया था, इसलिए आपराधिक धमकी के कारण प्र.सू.रि. अभिलिखित करने में देरी हुई। देरी को अच्छी तरह समझाया गया है और इसे अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं पाया गया है।

17. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना के दो प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण हैं, अ.सा.-12 प्रिया टुडू और अ.सा.- 4 ताला मुर्मू है। इनके साक्ष्यों से यह पता चलता है कि वे प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं और उन्होंने घटना नहीं देखी है, जहाँ तक अन्य साक्षियों हैं चिंतित है, सभी को इन दो साक्षियों से घटना के संबंध में पता चला है, इसलिए, अभियोजन पक्ष का मामला साबित नहीं हुआ है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिसाक्ष्यो और दंड पर भरोसा किया गया है ये दोनों साक्ष्य विकृत और गलत निष्कर्ष पर आधारित हैं।

17.1निश्चित रूप से, अभियोजन का मामला दो साक्षियों, यानी सूचक, अ.सा.-12 प्रिया टुडू और अ.सा.- 4 ताला मुर्मू अभिसाक्ष्यों पर आधारित है।

17.2. अ.सा.- 12 प्रिया टुडू ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि जब वह खेत में धान रोपने के बाद घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पति को बिहारी हेम्ब्रम और रामजी हेम्ब्रम घर के अंदर खींच कर ले जा रहे थे. उसने यह भी देखा कि उसका पति खून से लथपथ पड़ा हुआ था। चोट उसके माथे पर लगी थी, कान भी कट गया था और उसका पति अधमरा हो गया था। जब वह रोने-चिल्लाने लगी तो मुंशी सोरेन, ताला मुर्मू व एक अन्य व्यक्ति वहां आ गये। प्रतिपरीक्षण में अभियुक्तों की ओर से इस साक्षी द्वारा दिये गये बयान से उसके द्वारा देखी जा रही घटना के संबंध में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बचाव पक्ष की ओर से इस साक्षी को एकमात्र सुझाव दिया गया कि मृतक ने ताला मुर्मू के साथ शराब पी थी और दोनों के बीच हाथापाई हुई थी और जमीन पर गिरने के कारण बिनोद हेम्ब्रम को चोट लगी थी और चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

17.3 अ.सा.- 4 ताला मुर्मू ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना दिनांक एवं समय पर बिनोद की चीख सुनकर वह जाग गया, जब वह गणेश मरांडी के आंगन में सो रहा था और बिनोद के घर पहुंची और देखा कि रामजी और बिहारी कुदाल, टांगी और एक छोटे डंडा से बिनोद पर हमला कर रहे थे। बिनोद के माथे पर टांगी से चोट लगी थी। वह बिनोद को बचाने भी आया, लेकिन अभियुक्तों ने उसे भी घर के अंदर खींच लिया। वहां प्रिया टुडू भी आई हुई थी. प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी का कहना है कि घटना के पांच मिनट बाद वह घटना स्थल पर पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो उस समय वहां कोई नहीं था. उनका यह भी कहना है कि गणेश और बिनोद के घर के बीच में 6 से 7 घर हैं. इस साक्षी को यह सुझाव भी दिया गया कि उसने बिनोद हेम्ब्रम के साथ शराब पी थी और दोनों में झगड़ा और हाथापाई हुई थी, जिससे बिनोद को चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इस साक्षी द्वारा इस सुझाव का खंडन किया गया।

17.4 निश्चित रूप से अ. सा.-12 प्रिया टुडू ने अभियुक्तों को अपने पति बिनोद हेम्ब्रम के साथ मारपीट करते नहीं देखा है; लेकिन उसने दोनों अभियुक्तों बिहारी और रामजी को उसके पति को घायल हालत में घर के अंदर घसीटते हुए देखा था और यह भी देखा था, कि उसका पति खून से लथपथ अधमरा पड़ा हुआ था, जिसे कई चोटें लगी थीं। इस साक्षी अ.सा.-12 प्रिया टुडू का परिसाक्ष्य ठोस और भरोसेमंद पाई गई और इसकी पुष्टि ताला मुर्मू, अ.सा.- 4 के बयान से भी होती है, यद्यपि, उसने घटना नहीं देखी थी, लेकिन वह भी घटना स्थल पर पहुंच गया था। मृतक

बिनोद हेम्ब्रम की चीख सुनकर दोनों अभियुक्तों को घायल बिनोद हेम्ब्रम को घर के अंदर खींचते हुए देखा।

17.5 अ.सा.-12 प्रिया टुडू के प्रत्यक्षदर्शी की संपुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। मृतक की अन्त्यपरीक्षण रिपोर्ट को अ.सा.-5 डॉ. कुलानंद चौधरी ने प्रदर्श 2 के रूप में साबित किया है, जिन्होंने मृतक के शरीर पर छह मृत्युपूर्व चोटें पाई हैं। अन्त्यपरीक्षण से पहले की चोटों से पता चलता है, कि मृतक को धारदार हथियार और कुंद वस्तु से कटे हुए घाव और कटे हुए घाव लगे थे।

17.6 प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त्गण कुल्हाड़ी, कुदाल और बांस की छड़ी से लैस थे। घटनास्थल से तीनों हथियार खून से सने हुए मिले. खून से सने फावड़े, टांगी और बांस के कुदाल का जब्ती ज्ञापन प्रदर्श- 1 है जिसे अ.सा.-11 अरुण कुमार पांडे, अन्वेषक द्वारा प्रमाणित भी किया गया है। यद्यपि साक्षी नरेश हेम्ब्रम (अ.सा.-1) पक्षद्रोही हो गया है फिर भी उसने जब्ती ज्ञापन (प्रदर्श1) पर अपने हस्ताक्षर की बात स्वीकार की है। बचाव पक्ष की ओर से अ.सा.-11 अरुण कुमार पांडे से प्रतिपरीक्षण में कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका।

17.7 रक्तरंजित कुदाल को भी अ.सा.-13 भोला नाथ भगत द्वारा वस्तु प्रदर्श-I के रूप में सिद्ध किया गया है। खून से सनी टांगी और कुदाल दोनों ही वस्तु प्रदर्श-I और II हैं, जिसे उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने परीक्षण में प्रस्तुत करके साबित कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये दोनों उन्हें थानेदार के आदेश से मालखाने से सौंपे गए थे। खून से सने बांस के डंडों को नष्ट कर दिया गया है और इस संबंध में 20 जनवरी, 2015 को जी डी प्रविष्टि संख्या 11 पर भी की गई थी और थाना प्रभारी सतेन्द्र प्रसाद द्वारा एक पत्र भी लिखावट और हस्ताक्षर में निर्गत किया जिसे वह पहचानते हैं और प्रदर्श-7 अंकित किया गया है।

18. यद्यपि साक्षी मरांगमय सोरेन (अ.सा.-10) ने अभियुक्तों को मृतक के साथ मारपीट करते या मृतक को घायल अवस्था में घसीटते नहीं देखा था, फिर भी उसे घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी अ.सा.-12 प्रिया टुडू और अ.सा.-4 ताला मुर्मू से पता चला था। . इसलिए, उसका अभिसाक्ष्य भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के तहत पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हो जाती है।

18.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्तियार सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य के मामले में,जो ए.आई.आर 2009 एस.सी 1854 में प्रतिवेदित है, कि कंडिका 8 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है : -

"8. अ.सा.-5 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई टेलीफोन रेलवे स्टेशन, काहनगढ़ में स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन रेलवे स्टेशन पर रेलवे नियंत्रण कक्ष में एक टेलीफोन स्थापित किया गया था, जो कि खराब पाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि वह बुढलाडा में जी.आर.पी पुलिस पोस्ट पर गए थे, जहां से उन्होंने भेजा था घटना के बारे में बठिंडा स्थित नियंत्रण कक्ष को टेलीफोन पर एक संदेश। उपरोक्त कथन में सूचना भेजने में हुई देरी को स्पष्ट रूप से बताया गया है और यह भी बताया गया है कि घटना से जुड़ी सभी सामग्रियों के बारे में विस्तृत जानकारी का उल्लेख उनके द्वारा क्यों नहीं किया गया। उसे किसी भी तरह से इच्छुक साक्षी नहीं कहा जा सकता; वास्तव में वह अत्यंत अनासक्त साक्षी था। यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं

लाया गया है कि वह अभियुक्तों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने उक्त अभियुक्तों को हथियार लेकर गांव की ओर भागते देखा था. घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता क्योंकि यह स्थापित है कि वह रेलवे पुलिस पोस्ट, काहनगढ़ में कर्त्तव्य पर थे, जो कि घटनास्थल है। उसने अपने बयानों में यह भी कहा है कि उसने वास्तव में कुछ दूरी तक दोनों अभियुक्तों का पीछा किया था, लेकिन उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका, और जब वह घटनास्थल पर लौटा, तो सुरजीत कौर, अ.सा.-3, ने उसे बताया घटना के बारे में यह दिखलाता है कि उसने अभियुक्तों को मृतक पर हमला करते नहीं देखा था, लेकिन एक प्रत्यक्षदर्शी से उसे इस बारे में पता चला और प्लेटफार्म पर पड़े शव के बारे में उक्त जानकारी उसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, क्योंकि वह जानता था कि उपरोक्त सूचना प्राप्त होने पर पुलिस को जांच शुरू करनी चाहिए और उस दौरान पुलिस प्रत्यक्षदर्शी साक्षी से जरूर पूछेगी और उनसे सारी जानकारी लेगी, किसी भी स्थिति में, उसकी जानकारी सुनी-सुनाई साक्ष्य होगी, लेकिन यह अ.सा.2 तथा अ.सा.3 के मुख्य साक्ष्य की पुष्टि करती है, वही स्वीकार्य होगा, जैसा कि पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य, (2003) 11 एस.सी.सी. 241 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था, जिसमें यह संप्रेक्षित किया गया था कि साक्ष्य का उपयोग मुख्य सबूतों की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, उस मामले में, कोई मुख्य साक्ष्य नहीं होने के कारण उक्त साक्ष्य का लाभ नहीं दिया गया।

19. प्रत्यक्षदर्शी अ.सा.-12 प्रिया टुडू का अभिसाक्ष्य भी अ.सा.-11 अरुण कुमार पांडे (अन्वेषक) के अभिसाक्ष्य से पुष्ट होती है। अन्वेषक ने कहा है कि उन्होंने प्रिया टुडू और ताला मुर्मू का बयान अभिलिखित किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्होंने प्रिया टुडू का फर्द बयान अभिलिखित किया था, जिस पर उसके अंगूठे का निशान और नवल किशोर सोरेन के हस्ताक्षर थे. उन्होंने फर्द बयान को साबित कर दिया है जिस पर स्वयं सूचक प्रिया टुडू द्वारा पहले से ही प्रदर्श.5 के रूप में रखा गया है और उस पर हस्ताक्षर भी अन्वेषक द्वारा प्रदर्श.5/1 के रूप में साबित किया गया है. अ.सा.-11 ने यह भी कहा है कि प्रिया टुडू ने उसे बताया है कि उसने (बिनोद हेम्ब्रम की पत्नी) और ताला मुर्मू दोनों ने अभियुक्तों को बिनोद हेम्ब्रम के साथ मारपीट करते और उसे घर के अंदर खींचते हुए देखा था। इस साक्षी ने जिस स्थान से शव को घसीटकर मृतक के आँगन तक लाया गया था, उसके पास ही उस स्थान पर घसीटे जाने के खून के निशान भी देखे थे।

20. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अ.सा.-12 प्रिया टुडू के अभिसाक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वह इच्छुक साक्षी है।

20.1 यह निवेदन समर्थनीय नहीं है क्योंकि अ. सा.-12 प्रिया टुडू के अभिसाक्ष्य इसकी सत्यता के संबंध में न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण में उसके अभिसाक्ष्य को कोई झटका नहीं लगा।

20.2 अशोक कुमार चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट A.I.R. 2008 SC 2436 में कंडिका 7 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित की गई है: -

"7. हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं। हालांकि यह सच है कि घटना 17 जुलाई 1988 को शाम 6 बजे के आसपास बाजार के पास हुई थी, अभियोजन पक्ष के लोकसाक्षी को सुरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए था साक्षी जिन्होंने घटना देखी थी, लेकिन साथ ही कोई भी आधारभूत वास्तविकता

से नज़र नहीं हटा सकता है कि जनता के सदस्य आम तौर पर असंवेदनशील होते हैं और अपराध के बारे में रिपोर्ट करने और साक्ष्य देने के लिए आगे आने के लिए अनिच्छुक होते हैं, भले ही यह उनकी उपस्थिति में किया गया हो। हमारी राय में, अन्यथा भी सार्वभौमिक अनुप्रयोग के एक नियम के रूप में यह कहना गलत होगा कि लोक साक्षी की अपरीक्षा अपने आप में अभियोजन पक्ष के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष को जन्म देती है या पीड़ित के किसी रिश्तेदार की साक्ष्य, जो अन्यथा यह श्रेय के योग्य है, जब तक लोक साक्षी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती, तब तक इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जहां तक पीड़ित के रिश्तेदारों के साक्ष्य की विश्वसनीयता का सवाल है, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि हालांकि न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों की गुरुत्तर तथा सावधानी से संनिरिक्षण करनी होगी, लेकिन ऐसे साक्ष्य को अभियोजन में उनकी रुचि के एकमात्र आधार पर व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सम्बन्ध अपने आप में साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता है। केवल इसलिए कि एक साक्षी अपराध के पीड़ित का सम्बन्धी होता है, उसे "इच्छुक" साक्षी के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है। यह सामान्य बात है कि "रुचि" शब्द यह बताता है कि संबंधित व्यक्ति को यह देखने में कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुचि है कि अभियुक्त को किसी न किसी तरह से दोषसिद्ध ठहराया गया है क्योंकि या तो उसकी अभियुक्त के साथ कोई दुश्मनी थी या किसी अन्य तिरछे हेतुक के लिए।"

20.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रविश्वर मांझी और अन्य बनाम झारखंड राज्य के मामले में ए.आई.आर. 2009 एस.सी 1262 में प्रतिवेदित है कंडिका 24 में निम्नानुसार निर्णय अभिनिर्धारित किया है: -

" 24 में से सात प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों, अ.सा. 7 पर निचली न्यायालयों ने विश्वास नहीं किया। अ.सा 4 और 5 घटना स्थल पर बिल्कुल उपस्थित नहीं थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने घटना का केवल एक भाग ही देखा है। बाकी सभी प्रत्यक्षदर्शी मृतक के सम्बन्धी थे। हालाँकि, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि केवल इसी आधार पर उनके साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए।इसके अलावा, पक्षकारो के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उनके खिलाफ केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत एक मामला लंबित था। इसके संबंध में भी, कोई दस्तावेजी साक्ष्य यह दिखाने के लिए अभिलेख पर नहीं लाया गया, कि उक्त कार्यवाही कब और किसके कहने पर शुरू की गई थी। अभियोजन पक्ष के साक्षियों ने केवल अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया कि एक मृत्युकारित हुई थी और दो साक्षियों को गंभीर चोटें आईं, लेकिन इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह दिखाना निरपेक्षत: आवश्यक था कि अभियुक्त आक्रामक थे। यही कारण है कि अभियोजन मामले की उत्पत्ति को गंभीर महत्ता माना जाना चाहिए।"

21. अपीलकर्ता की ओर से यह दलील भी दी गई है कि कथित खून से सने फावड़े, कुल्हाड़ी और बांस को एस.एफ.एस.एल को नहीं भेजा गया था। पुष्टि के लिए कि उस पर लगा खून मृतक के रक्त समूह से मेल खाता है या नहीं, ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

21.1 निश्चित रूप से, खून से सने हथियार जो मृतक के शरीर के पास से बरामद किए गए थे, उन्हें एस.एफ.एस.एल में नहीं भेजा गया था जैसा कि अ.सा.-11 अरुण कुमार पांडे (अन्वेषक.) ने स्वीकार किया था; लेकिन अभियोजन का मामला जो कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित है और

खून से सने हथियारों को जांच के लिए एस.एफ.एस.एल को नहीं भेजना, अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं हो सकता है जो कि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित है।

21.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मनो बनाम टी.एन राज्य के मामले में, जो (2007) 13 एस.सी.सी 795 में प्रतिवेदित है की कंडिका 16 में निम्नप्रकार से अभिनिर्धारित किया: -

"16. भले ही हथियारों की बरामदगी, जैसा कि दावा किया गया है, लंबी अवधि के बाद हुई थी और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था, जो किसी भी तरह से अभियोजन प्रकथन का साक्ष्यात्मक मूल्य मंद नहीं करता है ।"

21.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम हाकम सिंह के मामले में (2005) 7 एस.सी.सी 408 प्रतिवेदित है की कंडिका 13 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"13. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि कोई आग्नेयास्त्र बरामद नहीं किया गया था और न ही खाली खोखा जब्त किया गया है। यदि ऐसा किया जाता तो बेहतर होता और इससे अभियोजन की कहानी की पुष्टि होती। आग्नेयास्त्रों की जब्ती और खाली खोखा को बरामद कर उन्हें बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा जांच के लिए भेजने से केवल अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि होती, लेकिन वर्तमान मामले में उन्हें बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास न भेजना पूरी घटना के बारे में अ.सा. 3 के स्पष्ट अभिसाक्ष्य को देखते हुए घातक नहीं है। "

22. अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी दलील दी गई है कि मृतक और अभियुक्तों के बीच इस आधार पर दुश्मनी थी कि अभियुक्त रामजी हेम्ब्रम, जिसने मृतक बिनोद को गोद लिया था और बाद में गोद लेने से इनकार कर दिया था और इस दुश्मनी के कारण उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है

22.1 पक्षकारों के बीच दुश्मनी एक दोधारी हथियार है। अपराध घटित होने की संभावना भी उतनी ही है, जितनी गलत फंसाने की।

22.2 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम तुलसीराम भानुदास कांबले और अन्य के मामले में जो ए.आई.आर 2007 एस.सी. 3042 में प्रतिवेदित है की कंडिका 29 और 33 में प्रतिवेदित निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: -

"29. उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक तर्क, हमारी राय में, यह सुस्थापित कानूनी सिद्धांत के विपरीत है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिन साक्षियों की जांच की गई, वे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने के अलावा, घायल साक्षी थे, इसलिए केवल इसलिए संदेह नहीं किया जा सकता है वे उत्तरदाताओं के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, यह अपने आप में उनके साक्ष्य को अपास्त करने का आधार नहीं हो सकता है, हालांकि इसे स्वीकार करने में कुछ हद तक सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

33.शत्रुता के संबंध में यह सर्वविदित है कि शत्रुता एक दोधारी हथियार है। यह गलत निहितार्थ का आधार हो सकता है, लेकिन यह सही निहितार्थ का आधार भी हो सकता है।"

23. यह अभिवाक् अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की ओर से भी उठाई गई है कि मृतक ने अ.सा.- 4 ताला मुर्मू के साथ शराब पी थी। और दोनों के बीच हाथापाई हुई और लड़ाई के दौरान बिनोद हेम्ब्रम (मृतक) को जमीन पर गिरने के कारण चोटें आईं।

23.1 यह दलील अ.सा.-5 डॉ. कुलानंद चौधरी के परिसाक्ष्य से झुठलायी गयी है, तथा अंत्यपरीक्षण के दौरान उन्हें मृतक द्वारा शराब पीने का कोई सबूत नहीं मिला।

24. अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के बाद, हमारी राय है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे दोषियों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामले को साबित करने और दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय को साबित करने में सफल रहा है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित दोषसिद्धि तथा दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

25.तदनुसार, इस अपील को खारिज कर दिया गया है और सत्र विचारण संख्या 290/2012 में विद्वान सत्र न्यायाधीश गोड्डा द्वारा दिनांक 1 जून, 2015 को दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दिनांक 10 जून, 2015 को दंडादेश को एतत् द्वारा अभिपुष्ट की जाती है।

26.अपीलकर्ता पहले से ही कारा में हैं और उन्हें शेष दंड भुगतने का निर्देश दिया गया है। निचली अदालत का इस निर्णय की एक प्रति अभिलेख के साथ संबंधित न्यायालय को तत्काल प्रेषित करे।

27. लंबित अंतर्वर्ती आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है।

(सुभाष चंद, जे.)

प्रति आनंद सेन, जे. : मैं सहमत हूं

(आनंद सेन, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 18 मार्च, 2024.
रोहित पांडे/ए.एफ.आर

यह अनुवाद **किरण शंकर मिश्र**, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।